परिशिष्ट : ए

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।**

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
निर्णय की तिथिः–15.06.2026
सत्र वाद संख्या : 834 / 2025
राघोपुर (रूस्तमपुर ओ0पी0) थाना कांड सं0–115 / 2014

**CNR- BRVA01-013195-2025**

Web Copy not Official

| | |
|---|---|
| अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक | श्री ख्वाजा अहमद खां |
| अभियुक्त | 1–नागदेव राय<br>पे0–स्व0 भज्जू राय,<br>साकिन–जफराबाद हरनहिया, थाना–राघोपुर (रूस्तमपुर ओ0पी0) जिला–वैशाली। |
| अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता | 1. श्रीमती कुमारी पुष्पम् |

| | |
|---|---|
| अपराध की घटना तिथि | 09.08.2014 |
| प्राथमिकी की तिथि | 20.11.2014 |
| आरोप पत्र की तिथि | 08.12.2015 |
| संज्ञान की तिथि | 07.07.2021 |
| आरोप गठन की तिथि | 26.02.2026 |
| साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि | 23.03.2026 |
| निर्णय पर नियत की तिथि | 15.06.2026 |
| निर्णय की तिथि | 15.06.2026 |
| दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो | ------- |

**परिशिष्ट : बी**

**अभियुक्त का विवरणः–**

| | |
|---|---|
| अभियुक्त का क्रमांक | A-1 |
| अभियुक्त का नाम | नागदेव राय |
| गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि | 06.10.2015 |
| जमानत पर मुक्त की तिथि | 21.12.2015 |

| | |
|---|---|
| आरोप गठन की धारा | भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 147, 148, 341 / 149, 323 / 149, 324 / 149, 307 / 149, 504 / 149 |
| दोषमुक्त या दोषसिद्व | दोषमुक्त |
| दण्डादेश | ------ |
| विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि | 00 वर्ष 02 महीना 15 दिन |

## अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

**क–अभियोजन**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| पी0डब्लू0–01 | सीता देवी | (परिवादिनी साक्षी) |

**ख–बचाव पक्ष साक्षीगण**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil |

**ग–न्यायालय साक्षीगण**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil |

## अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

**क–अभियोजन**

| क्रमांक | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 01 | प्रदर्श–01 | ..... |

**ख–बचाव पक्ष**



Web Copy not Official

| क्रमांक | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil |

**ग–न्यायालय प्रदर्श**

| क्रमांक | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil |

**घ–वस्तु प्रदर्श**

| क्रमांक | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| Nil | Nil | Nil |

Web Copy not Official

उपस्थित : **मनोज कुमार तिवारी,**
**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश**
**हाजीपुर, वैशाली।**

## नि र्ण य

**1.** उपरोक्त नामित एक मात्र अभियुक्त का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 148, 341 / 149, 323 / 149, 324 / 149, 307 / 149, 504 / 149 के अंतर्गत किया गया है।

**2.** परिवादिनी का संक्षिप्त मामला है कि, घटना तिथि–09.08.2014 दिन शनिवार समय करीब 7:00 बजे शाम परिवादिनी अपने दरवाजे पर बैठी थी कि अभियुक्त सं0–01 से 05 अपने हाथ में गड़ासा, लाठी एवं डंडा लिए गाली–गलौज करते हुए परिवादिनी के दरवाजे पर आये और घेरकर बेइज्जत करने के नियत से परिवादिनी के साथ छेड़छाड़ एवं बेलंग्न कर दिया तथा परिवादिनी से पूछा कि तुम्हारा भतार समुआ कहां है। परिवादिनी डरते हुए बोली कि अभी तक काम पर से नहीं लौटे है, उसी समय पीछे से अभियुक्त नागदेव राय आये और अभियुक्तों से बोले कि भोसरी झूठ बोलती है। अभियुक्तों को आदेश दिया कि इसी साली को मारो। नागदेव राय के आदेश पर सभी अभियुक्तगण परिवादिनी को लप्पड़–थप्पड़, लाठी–डंडा से मारने लगे। अभियुक्त सं0–01 परिवादिनी के सर पर जान मारने की नियत से गड़ासा चला दिया, जिससे सर बांया तरफ कट गया

और सर से काफी खून गिरने लगा। परिवादिनी सर पकड़कर बैठ गयी कि इसी बीच अभियुक्त सं0–02 परिवादिनी के गले से चांदी का लॉकेट लगा चैन वजन 05 भर कीमत 4,000 / –रु0 का खींच लिया और अभियुक्त सं0–03 परिवादिनी के कान से दोनों कान का कनफूल कीमत 14,000 / –रु0 का नोंच लिया और अभियुक्त सं0–04 परिवादिनी के ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर परिवादिनी का बैग निकाल लिया, जिसमें नकद 5,000 / –रु0 राशन खरीदने के लिए रखी थी और अभियुक्त सं0–05 परिवादिनी के दरवाजा पर से पुराना साईकिल कीमत 2,000 / –रु0 का लेकर सभी अभियुक्तगण यह कहते हुए भागे कि चलो समुआ को खोजते हैं। घटना को लोगों ने आंखों से देखा, लेकिन अभियुक्तगण काफी दबंग है जो सभी दारू का धंधा करते हैं और सभी अस्त्र–शस्त्र से लैश थे, इसलिए डर से किसी ने विरोध नहीं किया। बगलगीर परिवादिनी को लेकर रूस्तमपुर ओ0पी0 गये, ओ0पी0 अध्यक्ष परिवादिनी का फर्दबयान लिखवाया और बोले कि जाकर इसका इलाज करवाओ। बगलगीर परिवादिनी को लेकर हाजीपुर आये और परिवादिनी का इलाज करवाये। परिवादिनी अभी भी डॉक्टर साहेब के इलाज में है।

**3.** परिवादिनी सीता देवी की ओर से तत्कालिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली हाजीपुर के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसे पंजीकृत करते हुए तत्कालिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली हाजीपुर द्वारा परिवाद पत्र की छायाप्रति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी राघोपुर (रूस्तमपुर ओ0पी0) को प्रेषित किया गया, जिस आदेश के आलोक में प्रस्तुत प्राथमिकी राघोपुर (रूस्तमपुर ओ0पी0) थाना कांड सं0–115 / 2014, दिनांक–20.11.2014, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 323 / 307 / 354 / 379 / 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानक द्वारा काण्ड सत्य पाते हुये विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व भा0 दं0 वि0 की धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 324 / 307 / 504 में आरोप पत्र सं0–129 / 2015, दिनांक–08.12.2015 समर्पित किया गया है।

**4.** समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरान्त इस मामले के विचारित उपरोक्त एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 324 / 307 / 504 के अंतर्गत, दिनांक–07.07.2021 को संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–04.12.2025 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

**5.** विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व दिनांक–26.02.2026 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 148, 341 / 149, 323 / 149, 324 / 149, 307 / 149,

504 / 149 में आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुये विचारण का दावा किया।

**6.** अभियोजन की तरफ से इस मामले में मात्र 01 साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया हैं।

**7.** अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy not Official

**8.** अभियोजन साक्ष्य बंद कर एक मात्र अभियुक्त का बयान दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–10.06.2026 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुये कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

**9.** प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**10.** अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

## म न त व य

**11.** अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्व इस मामले में विरचित आरोपों को साबित किये जाने हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उनमें **अभियोजन साक्षी सं0–01 सीता देवी (01.06.2026)** ने अपने साक्ष्य में बतायी है कि मैं इस केस की सूचिका हूं। मैंने ही यह मुकदमा की हूं। दिनांक–09.08.2014 को संध्या 7:00 बजे की घटना है, उस समय मैं अपने दरवाजे पर बैठी थी तो कृष्णा राय, विश्वनाथ राय, सीता राम राय, झगरू राय, विक्की कुमार और नागदेव राय सभी लाठी, गड़ासा, डंडा लेकर आये और बेईज्जत करने लगे और छेड़छाड़ कर बेलंग्न कर दिये तथा पूछे कि तुम्हारा पति कहां है। नागदेव राय आये और बोले कि इसको मारो, इस पर सभी लोग मिलकर लप्पड़–थप्पड़, डंडा से मारने लगे और कृष्णा राय गड़ासा से मेरे सर पर मारे, मेरा सर कट गया। गले से चांदी का लॉकेट विश्वनाथ राय छीन लिये। झगरू राय मेरे ब्लाउज से बैग निकाल लिये, जिसमें 5,000 / –रु0 था। मैं हाजीपुर आकर अपना ईलाज करवायी। उपरोक्त घटना से संबंधित एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में अपने अधिवकता के माध्यम से दाखिल

करवाये। यह वहीं परिवाद–पत्र है, जिसे सही पाकर मैंने अपना अंगूठा का निशान बना दी थी। अनुसंधान के दौरान मेरा पुनः बयान हुआ था। मैं मुदालह को पहचानती हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–05, 06, 07 एवं 08 में बतायी है कि मैं कोर्ट में केस करने आयी थी। अपने बयान को पढ़वाकर मैं नहीं समझी थी, मैंने केवल अपना अंगूठा का निशान बना दी थी। सभी मुदालहगण मेरे संबंधी है। मुदालह नागदेव राय मेरे भैंसुर लगते हैं। घटना तिथि व समय को वाद–विवाद हो रही थी, कौन किसको मारा और किससे क्या छीना, यह मैं नहीं देखी थी। हल्ला–गुल्ला में कौन किसको क्या बोला, यह भी मैं नहीं सुनी थी। बाद में मेरा रूपया मिल गया था, वह रूपया वहीं पर गिरा हुआ था। माननीय न्यायालय में जो सुलहनामा एवं अनुमति–पत्र दाखिल की हूं, उस पर स्वेच्छा से अपना अंगूठा का निशान बनायी हूं। हमलोगों के बीच फिर से प्रेम–बहाल हो गया है। सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त हो जायेगी तो भविष्य में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

**12.** उभय पक्ष का बहस सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि परिवादिनी ने घटना का समर्थन की है। अतः अभियुक्त दोष–सिद्ध किये जाने के अधिकारी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सूचिका न्यायालय में उपस्थित हुई और मारपीट होने की बात अपने मुख्य–परीक्षण में कहीं, परन्तु प्रति–परीक्षण में कहीं है कि सभी मुदालहगण मेरे संबंधी हैं, मुदालह नागदेव राय मेरे भैंसुर लगते हैं।

## निष्कर्ष

**13.** अभियोजन द्वारा मात्र एक साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है। अभियोजन साक्षी सं0–01 पीड़िता, जो इस केस की सूचिका है। सूचिका कोर्ट में केस करने आयी थी, अपने बयान को पढ़वाकर सूचिका नहीं समझी थी, केवल अपना अंगूठा का निशान बना दी थी। घटना तिथि व समय को वाद–विवाद हो रही थी, कौन किसको मारा और किससे क्या छीना, यह सूचिका नहीं देखी थी। हल्ला–गुल्ला में कौन किसको क्या बोला यह भी सूचिका नहीं सुनी थी। बाद में उसका रूपया मिल गया था, वह रूपया वहीं पर गिरा हुआ था। सूचिका सुलहनामा एवं अनुमति–पत्र दाखिल की है, उस पर स्वेच्छा से अपना अंगूठा का निशान बनायी है। हमलोगों के बीच फिर से प्रेम–बहाल हो गया है। सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त हो जायेगी तो भविष्य में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः जबकि पीड़िता ने घटना का पूर्ण समर्थन नहीं की है तथा अन्य साक्षी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष करार दिये जाने के योग्य है। अतः अभियुक्त को दोष–मुक्त किया जाता है।

## आदेश

**14.** अतः एक मात्र अभियुक्त : **01. नागदेव राय,** पे0–स्व0 भज्जू राय, साकिन–जफराबाद हरनहिया, थाना–राघोपुर (रूस्तमपुर ओ0पी0), जिला–वैशाली को उनपर लगाए गए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–147, 148, 341 / 149, 323 / 149, 324 / 149, 307 / 149, 504 / 149** से उन्हें निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है दोषमुक्त अभियुक्त एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy not Official

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
**15.06.2026**

लेखापित

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
**15.06.2026**

| | |
|---|---|
| Date of Judgment/Order | 15-06-2026 |
| Date of Reserving Judgment/Order | 15-06-2026 |
| Uploading Date | 19-06-2026 |
| Uploaded by | Anand Kumar, Stenographer, Vaishali at Hajipur |

Web Copy not Official